6.11.23 पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट को दिनांक 20.10.2023 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं अपील पर सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम बाबत कथन किया कि उनवानी अपील सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर के आदेश दिनांक 14.1.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जिसमें प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से स्थगन आदेश दिनांक 14.1.2022 को आगे नहीं बढाए जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 28.2.2022 को प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु आगामी पेशी दिनांक 25.3.2022 नियत कर दी गई थी किंतु उक्त प्रार्थना पत्र पर आज दिनांक तक कोई सुनवाई नहीं कर एकपक्षीय स्थगन आदेश दिनांक 14.1.2022 को 15.1.2023 तक बढाया जा रहा है। प्रार्थीया द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बार–बार निवेदन किए जाने व न्यायालय आपके निर्देश के बावजूद भी उक्त एकपक्षीय स्थगन आदेश पर सुनवाई नहीं की जा रही है जिस कारण प्रार्थीया द्वारा न्यायालय आपके समक्ष उक्त अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त अपील में चूंकि अंतिम आदेशिका दिनांक 9.9.2023 को आगामी पेशी दिनांक 15.1.2024 नियत कर दी गई है जिस कारण प्रार्थीया के पास न्यायालय के समक्ष उक्त अपील प्रस्तुत किए जाने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प शेष नहीं है एवं न्यायालय उक्त अपील को मियाद बाहर माने तो उक्त अपील प्रस्तुत किए जाने में हुए विलंब को क्षमा किया जाकर अपील को अंदर मियाद शुमार किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया गया। इसके अनुसार अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.1.2022 का है दिनांक 28.2.2022 को प्रार्थीया अपीलांट द्वारा अंतरिम स्थगन आदेश को आगे नहीं बढाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया था मगर उस पर सुनवाई नहीं करके अगली पेशी दिनांक 25.3.2022 नियत कर दी गई आज दिन तक उक्त प्रार्थना पत्र पर कोई सुनवाई नही की है तथा एकपक्षीय स्थगन आदेश को बढाया जाता रहा है। अंतिम आदेशिका दिनांक 9.9.2023 के बाद अगली पेशी दिनांक 15.1.2024 तय करदी गई है। इस वजह से अपीलांट के पास अपील प्रस्तुत करने के अलावा कोई चारा नहीं है इसी रोशनी में अपील को अंदर मियाद मानते हुए देरी को क्षमा किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिए गए अपीलाधीन आदेश से संबंधित प्रकरण संख्या 2/2022 अंतर्गत धारा 212 फातिमा बनाम जुबैदा व अन्य प्रोसिडिंग दिनांक 14.1.2022 से दिनांक 19.10.2023 का अवलोकन किया गया। रेस्पोडेंट को प्रथम सुनवाई दिनांक 14.1.2022 को रेस्पोडेंट के पक्ष में वर्तमान अपीलांट के विरूद्ध मौके की यथास्थिति बाबत अंतरिम स्थगन आदेश पारित किया था। दिनांक 28.2.2022 को ही स्थगन आदेश को आगे नहीं बढाने बाबत प्रार्थना पत्र अपीलांट /प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया था। दिनांक 12.4.2022 को ही उनके द्वारा जवाब प्रस्तुत कर दिया गया था, मगर दिनांक 19.10.2023 तक जवाब पर बहस नहीं सुनी गई और 212 के प्रार्थना पत्र का अंतिम निस्तारण नहीं किया गया।

प्रोसिडिंग दिनांक 12.7.2022 के अनुसार न्यायालय हाजा द्वारा अपने निर्णय प्रकरण संख्या 149/2022/22/225/ब्यावर दिनांक 5.7.2022 के द्वारा प्रकरण का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए गए थे मगर दिनांक 19.10.2023 तक न्यायालय आरएए अजमेर के आदेश की पालना भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नही की गई। अतः अपीलांट के पास अपील प्रस्तुत करने के अलावा कोई चारा शेष नहीं रहता है, इसी रोशनी में अपील को अंदर मियाद शुमार करते हुए देरी को क्षमा किया जाता है।

वकील अपीलांट के आग्रह पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। अपीलांट अभिभाषक के अनुसार रेस्पोडेंट द्वारा दिनांक 14.1.2022 को मौके की यथास्थिति बाबत अंतरिम स्थगन आदेश अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त किया हैं। दिनांक 28.2.2022 को अधीनस्थ न्यायालय में हम उपस्थित हुए हमने आपत्ति लगाई की भूमि हमारे द्वारा रजिस्टर्ड विकय पत्र से दिनांक लगातार

6.11.23

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

जुबैदा बनाम फातमा वगैरह

लगातार 1.9.2014 को क्रय कर ली गई हैं । हमने सभी वादियो से सारी जमीन खरीदी है। कब्जा हमारा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आर्डर 39 रूल 3ए सीपीसी के मेडेटरी प्रावधान की पालना नहीं की जा रही। पत्रावली पर प्रस्तुत इकरारनामा बेचान दिनांक 1.9.2014 से यह पता लगता है कि फातिमा पत्नि स्वर्गीय पन्ना, इंसाफ, इकबाल, इमरान पुत्र स्वर्गीय पन्ना शहनाज अमीना पुत्री स्वर्गीय पन्ना ग्राम चौरसीयावास से वर्तमान अपीलांट जुबैदा पत्नि अल्लादीन द्वारा भूमि क्रय करना प्रकट होता है। बाद में उक्त भूमि में से कुछ भूमि जुबैदा द्वारा शहीदन को दिनांक 30.1.2019 को विक्रय की है। उक्त विक्रय पत्र में जुबैदा को बहैसियत मुख्तियारनामा आम फातिमा पत्नि पन्ना, इंसाफ, इमरान, पुत्र पन्ना, शहनाज, अमीना पुत्रियां पन्ना, आसिफ पुत्र पन्ना, मोहसिना पत्नि स्वर्गीय इकबाल, नियाज नाबालिक पुत्र इकबाल जरिए संरक्षक माता मोहसिना पत्नि स्वर्गीय इकबाल बताया गया है। स्पष्ट है कि इन सब की सहमति के बाद जुबैदा द्वारा दिनांक 30.1.2019 को कुछ हिस्सा विवादित भूमि में से विक्रय किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का प्रथम दृष्टया प्रकरण बनता है न कीं रेस्पोडेंट का साथ ही सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिंदु भी अपीलांट के पक्ष में बनते हैं न कि रेस्पोडेंट के अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपर न्यायालय हाजा आरएए के निर्देश की पालना आज दिनांक तक नहीं की है जो बिल्कुल उचित नहीं हैं। इस स्टेज पर न्यायालय का यह मानना है कि विवादित भूमि खाता संख्या 206 पुराना नया 207 ग्राम हटूण्डी बाबत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिए गए अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 14.1.2022 को स्थगित किया जाता है, अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि आगामी दो माह में 212 आरटी एक्ट के प्रार्थना पत्र का उभयपक्ष को सुनकर विधिपूर्वक निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

6.11.2023

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

CamScanner